संख्या-484/दस-2-2005-12(4)/2005

प्रेषक,

किशन नाथ
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्ध
उत्तरांचल, नैनीताल.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 05 मार्च, 2005

विषयः- आसन बैराज क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु किए जाने वाले आपातकालीन कार्यों हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि. 763/35-1-बी दिनांक 09.02.2005 एवं पत्रांक 809/35-1-बी, दिनांक 19 फरवरी, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वन विभाग के आयोजनागत पक्ष में संलग्नक में उल्लिखित योजनाओं के लिए रू० 25,45,000/- संलग्नक बी०एम०-15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग करते हुए तथा रू० 10,00,000/- संगत मद से अर्थात कुल रू० 35,45,000/- (रू० पैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि जिसका मदवार विवरण संलग्न तालिका के कॉलम-4 में है, के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय.
2. योजनाओं के विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी /शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
3. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
4. क्षेत्र की योजनाओं के साथ आवंटन अपने स्तर से किया जाय.
5. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. निर्माण कार्य डी०एस०आर० की आगणित दरों पर जिसके अनुसार जिसके अनुसार प्रथम परियोजना के लिए रू० 31.45 लाख तथा अन्य दो परियोजनाओं के लिए क्रमशः रू० 165.60 लाख एवं रू० 146.50 लाख का आगणन है, के अनुसार प्रथम परियोजना के लिए रू० 31.45 लाख तथा अन्य दो परियोजनाओं के लिए रू० दो लाख (प्रत्येक योजना) टोकन धनराशि के रूप में कार्य करने के लिए दिया जाय.
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और अवशेष धनराशि को उक्त तिथि तक समर्पित कर दिया जायेगा.
9. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
10. उक्त कार्य सिंचाई विभाग द्वारा शासन/वन विभाग की दिशा निर्देशन में सम्पन्न किया जायेगा.
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत संलग्न तालिका के कॉलम-4 में उल्लिखित धनराशि के लेखा शीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम में डाला जायेगा.
12. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 1594/वि.अनु.-2/2004 दिनांक 05.03.2005 में दी गयी सहमति से जारी किया जा रहा है.

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(किशन नाथ)
अपर सचिव

संख्या–1,84 (1)/दस–2–2005/12(43)/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल।
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
9. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
10. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
11. मुख्य प्रबन्ध निदेशक, टी०एच०डी०सी०, [illegible] भवन, ए–10 चतुर्थ मंजिल, सेक्टर–1, नोएडा, उ०प्र० 201301.
12. गार्ड फाईल।

संलग्नक: यथोपरि।

([illegible])
अपर सचिव

संख्या–484/दस–2–2005–12(A)/2004 टीसी दिनांक   मार्च, 2005 का संलग्नक

वन एवं पर्यावरण विभाग के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 की वित्तीय स्वीकृति

(धनराशि हजार रू0 में)

क0सं0	योजना का नाम/लेखा शीर्षक मानक मद	पूर्व स्वीकृति	वर्तमान स्वीकृति	योग
1	2	3	4	5
1.	2406–वानिकी तथा वन्य जीवन 01–वानिकी 800–अन्य व्यय 17– इको–टूरिज्म 24–वृहत निर्माण	21.00	35.45	56.45

(रू0 पैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र)

(किशन नाथ)
अपर सचिव

अनु-संलग्नक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग 2004-05 विवरण पत्र   अनुदान संख्या-27   आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी-मुख्य वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरांचल   प्रशासनिक विभाग-वन एवं पर्यावरण   (धनराशि -हजार रु0 में)

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	शासन द्वारा आवंटित धन	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन-01-वानिकी 800 अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें 01-04 इंटीग्रेटेड एफोरेस्टेशन एण्ड इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 29-अनुरक्षण 24000	0	21455	2545	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन-01-वानिकी 800-अन्य व्यय 17-00 इको टूरिज्म 24-वृहद निर्माण 2545	5645	21455	(क) आवश्यकता न होने के कारण बचत (ख) आसन बैराज के फ्लोजर से पूर्व प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के क्रम में किये जाने वाले आपातकालीन कार्यों हेतु धनराशि की आवश्यकता है.
योग 24000	0	21455	2545	2545	5645	21455	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है.

(किशन नाथ)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-2
संख्या 1594(1)/वि.अनु.-2/2004 दिनांक मार्च 2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत.

(एल0एम0 पंत) 5/3/2005
अपर सचिव (वित्त)

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या 484/दस-2-2005-12(4)/2005
दिनांक 05 मार्च, 2005

संख्या- 484 (1)/दस-2-2005/12(4)/2005 तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.

2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.

3. मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल, नैनीताल.

4- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल.

5. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन.

(किशन नाथ)
अपर सचिव